



बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लायज कॉरपोरेशन लि०

“खाद्य भवन” दरोगा राय पथ, आर० ब्लॉक, रोड नं०-२ पटना ८००००१

आदेश

विदित हो कि केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना अंतर्गत चावल बांटने के मद में औपबंधिक अनुदान भुगतान के रूप में प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार द्वारा दिये गये गारंटी के अनुपालन में बैंक ऑफ इंडिया, बी०सी०पी० मार्ग शाखा के खाता संख्या 441030110000016 में प्राप्त कुल रु.488.42 करोड़ की राशि को निम्नवत् वापस करने की स्वीकृति दी जाती है, जो इस प्रकार है-

क्र०	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (रु० करोड़ में)
1.	आन्ध्रा बैंक	041813100000344	167.00
2.	बैंक ऑफ इंडिया	441030110000039	80.42
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	18630400000479	94.00
4.	केनरा बैंक	0352261000637	102.00
5.	कॉरपोरेशन बैंक	032300401170001	17.00
6.	इंडियन बैंक	6516385390	28.00
कुल योग (चार सौ अठ्ठासी करोड़ बियालिस लाख रुपये मात्र):-			488.42

इस प्रकार सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2016-17 के लिए प्रदत्त रु.2,000 (दो हजार) करोड़ की गारण्टीयुक्त ऋण की अदायगी के लिए रुपये 488.42 करोड़ लौटायी जाती है। पूर्व में ज्ञापांक 9475 दिनांक 14.09.2017 द्वारा रु.1177.82 करोड़ ऋण वापसी के साथ कुल 1666.24 करोड़ ऋण वापस किया गया।

ह०/-
प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक : 04:14:01:53:2011 (पार्ट-II) -/००७३ वित्त, पटना/दिनांक-26/9/17
प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना/सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रबंध निदेशक